



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

(सरकारी स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)

हेड ऑफिस : द्वितीय व तृतीय तल
एनबीसीसी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स
वरदान खण्ड गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010

क्षेत्रीय कार्यालय
नेकपुर डीएम रोड बदायूं

नीलामी/बिक्री सूचना सार्वजनिक नीलामी/बिक्री सूचना (चल संपत्ति के लिए)

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वाहन बैंक/शाखा, बिल्सी के पक्ष में सुरक्षित हैं और सुरक्षित लेनदार के तौर पर, बैंक के अधिकृत अधिकारी ने गिरवी रखे गए वाहनों पर कब्जा कर लिया है, उक्त वाहन बैंक द्वारा 20.02.2026 को "जैसा है जहाँ है और जैसा है वैसा ही" आधार पर और बिना किसी शर्त के बैंक के बकाए की वसूली के लिए नीलामी द्वारा बेचे जाएंगे। यह नीचे बताए गए लोन के कर्जदार/कर्जदारों को उक्त तारीख को नीलामी/बिक्री आयोजित करने के बारे में एक सूचना है, यदि उक्त नीलामी की तारीख तक बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसके बाद बची हुई कोई भी बकाया राशि आपसे उचित ब्याज, शुल्क और खर्चों के साथ वसूल की जाएगी।

क्र. सं.	ऋणी/शाखा का नाम और पता	वाहन/ट्रैक्टर का विवरण	बैंक का बकाया (रु. में)	आरक्षित मूल्य
				ईएमडी
01	उधारकर्ता 1. श्री सूर्य प्रकाश देवल पुत्र श्री होरी लाल देवल निवासी मोहल्ला नंबर-02, वार्ड नंबर-20, शहर एवं तहसील-बिल्सी, जिला। बदायूं- 243633 गारंटर 1. श्री राजेंद्र कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी मोहल्ला नंबर-02, वार्ड नंबर-20, शहर व तहसील-बिल्सी, जिला। बदायूं-243633, 2. श्री अनिल कुमार वाष्णोय पुत्र श्री राजाराम निवासी मुहल्ला नं. 01, वार्ड नं. 21, शहर व तहसील-बिल्सी, जिला. बदायूं-243633, शाखा: बिल्सी, जिला बदायूं	Model-MAHINDRA TUV300 T10 MHAW K100 RC No: UP24AK5268 Chasis No: MA1NA2VZXK6E29095 Engine No: VZK6E41161	रु.1035037 + ब्याज +अन्य खर्च	रु. 490000 रु. 49000

नीलामी की तारीख और समय :- 20.02.2026 दोपहर 3.00 बजे, **नीलामी का स्थान :-** उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय नेकपुर डीएम रोड, जिला बदायूं- 243601

नियम और शर्तें :- (1) नीलामी "जैसा है जहाँ है" और "जैसा है वैसा ही" आधार पर और बिना किसी शर्त के की जा रही है। (2) अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, वाहन पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा बिल्सी, जिला बदायूं के हाइपोथिकेशन को छोड़कर कोई भार नहीं है। हालाँकि, बोली लगाने वाले को बोली जमा करने से पहले, नीलामी में रखे गए वाहन पर भार, टाइटल और वाहन को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जाँच करनी चाहिए। वाहन को बैंक को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य के भार के साथ बेचा जा रहा है। अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। (3) बोली जमा करने से पहले वाहन/वाहन के स्पेसिफिकेशन के बारे में निरीक्षण करना और संतुष्ट होना बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी, वे नीलामी की तारीख से पहले वाहन का निरीक्षण कर सकते हैं। (4) बोली लगाने वालों को बोली के साथ अग्रिम रूप से रिज़र्व मूल्य का 10% बयाना राशि जमा करनी होगी। उच्चतम बोली मूल्य (जो रिज़र्व मूल्य से कम नहीं होना चाहिए) को सफल बोली लगाने वाला माना जाएगा और असफल बोली लगाने वालों की शेष EMD बिना ब्याज के एक सप्ताह के भीतर वापस भेज दी जाएगी। ऑफ़र 19.02.2026 तक शाम 4:00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। और बोली नीलामी की तारीख यानी 20.02.2026 को दोपहर 3:00 बजे खोली जाएगी। (5) सफल बोली लगाने वालों की बयाना राशि बिक्री मूल्य के हिस्से के रूप में रखी जाएगी और असफल बोली लगाने वालों की EMD बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। EMD जमा पर किसी भी स्थिति में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। (6) सफल बोली लगाने वाले को उसी दिन DD/बैंकर्स चेक/नकद के रूप में बोली राशि का 25% (EMD को छोड़कर) जमा करना होगा और शेष राशि बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर सख्ती से भुगतान करनी होगी, यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। (7) अधिकृत अधिकारी सबसे ऊंची बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या नीलामी को स्थगित/टालने/रद्द करने का पूरा अधिकार है। (8) सफल बोली लगाने वाले को कानून के अनुसार लागू होने वाले शुल्क/फीस जैसे स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस आदि का भुगतान करना होगा। (9) अधिकृत अधिकारी नीलामी के तहत वाहन के संबंध में किसी भी चार्ज, ग्रहणाधिकार, भार, वाहन कर और/या सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ऐसे बकाया का भुगतान करने के लिए खरीदार जिम्मेदार होगा। (10) बोली रद्द होने और किसी भी समय बिक्री की रकम वापस करने की स्थिति में बैंक द्वारा प्राप्त राशि पर बैंक कोई ब्याज नहीं देगा। (11) यदि कोई कर्जदार/गारंटर/गिरवी रखने वाला नीलामी से पहले बैंक को पूरा बकाया चुका देता है, तो नीलामी टाल दी जाएगी। इस प्रकार कर्जदार/गारंटर/गिरवी रखने वाले के पास नीलामी से पहले सुरक्षित संपत्ति को छुड़ाने का मौका है, बशर्ते वह बैंक को पूरी राशि और बकाया शुल्क चुका दे। (12) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट, यानी <https://upgb.bank.in/sdashboard.php> पर दिए गए लिंक को देखें या अधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय नेकपुर डीएम रोड, जिला बदायूं- 243601 से संपर्क करें।

30 दिन की बिक्री सूचना :- इसके द्वारा कर्जदार/गारंटर/गिरवी रखने वालों को सूचित किया जाता है कि वे नीलामी से पहले बैंक को ऊपर बताई गई सभी बकाया राशि का भुगतान करें, यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो गिरवी रखी गई संपत्ति बताई गई तारीख को बेच दी जाएगी और यदि कोई बकाया रह जाता है तो उसे उनसे उचित ब्याज, शुल्क और खर्चों के साथ वसूल किया जाएगा।